न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. 48 / 2017 दर्ज दिनांक : 28.12.2017

1. आदूसिंह पुत्र गोदूसिंह जाति दरोगा राजपूत निवासीगण देपालसर तहसील व जिला चूरू
2. शंकरसिंह पुत्र गोदूसिंह जाति दरोगा राजपूत निवासीगण देपालसर तहसील व जिला चूरू
3. मुकनसिंह गोदूसिंह जाति दरोगा राजपूत निवासीगण देपालसर तहसील व जिला चूरू राज.
4. चेतनसिंह गोदूसिंह जाति दरोगा राजपूत निवासीगण देपालसर तहसील व जिला चूरू राज.
5. किशनसिंह पुत्र स्व. जैसाराम जाति दरोगा राजपूत निवासी देपालसर तहसील व जिला चूरू र

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, चूरू

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री शिवसिंह, हनुमानसिंह अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज अधिवक्ता प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188ए
राजस्थान काश्त. अधिनियम, 1955

: निर्णय :

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि
यह कि उपरोक्त अनवानी दावा में समस्त तथ्य लिखकर प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में दावा पेश किया जा चुका है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।
यह कि प्रार्थीगण व दावा के गौण प्रतिवादीगण के पूर्वजों के जीवनकाल से कब्जे काश्तकारी संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं. 55 तादादी 36 बीघा 04 बश्वा 9.1560 हैक्टेयर रोही देपालसर में स्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 15 है प्रार्थीगण व दावे के गौण प्रतिवादीगण के पिता स्व. गोदूसिंह स्व. सुरजाराम स्व. जैसाराम तीनो भाईयो को 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से के संयुक्त कब्जा काश्तकारी संवत् 2000 से थे प्रार्थीगण का कब्जा अपने पूर्वजो के समय से चला आ रहा हैं वंशावली दावा की मद सं. 02 में अंकित है।
यह कि प्रार्थीगण व दावे के गौण प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक पारिवारिक फैसला बटवारानुसार खसरा नम्बर 55 रकबा 36 बीघा 04 बिश्वा 9.1560 हैक्टेयर की कृषि भूमि में से प्रार्थीगण सं. 01 ता 04 के पिता स्व. गोदूसिंह के 1/3 हिस्से पर काबिज काश्तकार संयुक्त रूप से व हिस्सा बराबर–बराबर है। प्रार्थी सं. 05 किशनसिंह व गौण प्रतिवादी सं. 04 व 05 सोहनसिंह, समुद्रसिंह पिता स्व0 जैसाराम के 1/3 हिस्से में [illegible] खसरा की वादगत समस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण व दावे के गौण प्रतिवादी के अने[illegible] समय से संयुक्त रूप से कब्जा काश्तकारी में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:49 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादगत कृषि भूमि पर प्रार्थीगण व दावे के गौण प्रतिवादीगण के पूर्वजो का काफी पुराना कब्जा काश्त खातेदारी होने से कस्टोडियन पुनर्वास विभाग द्वारा इस कृषि भूमि की कुल कीमत 1229.69 रूपये गलतरूप से कायम की जाकर वसूली तहसीलदार चूरू द्वारा प्रार्थीगण के पर्वूजो से नोटिस क्रमांक टी.आर.एस 79/99 दिनांक 09.02.1981, नोटिस क्रमांक टी.आर.ए. 82/304 जारी किये गये जिसकी अनुपालना में अंकितम चालान सं. 1127 दिनांक 07.03.1983 के द्वारा 729.69 रूपये भी प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा जमा करवाये गये। प्रार्थीगण की ओर से चालान क्रमांक 66 दिनांक 17.04.1976 राशि 300/—रूपये, चालान सं. 01 दिनांक 16.06.1982 राशि 229 रूपये, चालान क्रमांक 1127 दिनांक 07.03.1983 राशि 729.69 रूपये कुल रूपये 1508.69 रूपये है। उक्त वादगत की कृषिभूमि की रकम प्रार्थीगण के पर्वूजों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक जमा करवायी जा चुकी है।

यह कि अप्रार्थी द्वारा इस दावा में वर्णित कृषि भूमि की कीमत प्रार्थीगण सेवूसल की जा चुकी है लेकिनअभी तक प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अंकित नही की है बल्कि प्रार्थीगण को अतिक्रमी बतला कर अप्रार्थी जबरन इस कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमदा है जबकि पत्रावली सं. 562/85 व 566/85 में तहसीलदार चूरू दिनांक 17.05.86 को ही आदेश पारित किया जाकर प्रार्थीगण को अतिक्रमी नहीं माना है फिर भी अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को वादगत कृषि भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमदा हो रहे है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जाना अति आवश्यक हो गया है।

यह कि वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है वा प्रार्थीगण संवत् 2000 से अपने पूर्वजो के समय से इस कृषि भूमि को काश्त कर रहे है वा प्रार्थीगण की ओर से इस कृषि भूमि को काश्त कर रहे है वा प्रार्थीगण की ओर से इस कृषि भूमि को काश्त कर रहे है वा प्रार्थीगण की ओर से इस कृषि भूमि की कीमत भी अप्रार्थीगण को अदा की जा चुकी है इसलिए प्रार्थीगण के हक में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन का सिद्धान्त व अपूर्तीय क्षति का सिद्धान्त पूर्णतया साबित है।

यह कि अगर अप्रार्थी को जरिये अस्थाइ निषेधाज्ञा द्वारा वर्जित नहीं फरमाया गया तो अप्रार्थी द्वारा वर्जित नहीं फरमाया गया तो अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण का वादगत भूमि से जबरन बेदखल कर दिया जावेगा तो प्रार्थीगण के साथ घोर अन्याय वा अपूर्तीय क्षति होगी ओर प्रार्थीगण द्वारा वाद पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा इसलिए न्यायहित में अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा वर्जित किया जाना अति आवश्यक हो गया है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ता फैसला दावा अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा वर्जिति किया जावे कि वो कृषि भूमि खसरा नम्बर 55 तादादी 36 बीघा 04 बिश्वा(9.1560 हैक्टेयर) वाके रोही देपालसर से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहींकरें ना प्रार्थीगण के कब्जा, काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा डाली अपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थना—पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि. डाक सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण की ओर से पैरोकार राज उपस्थित है। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए जवाब बंद किया जाकर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर पत्रावली का अवलोकन किया गया राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 30.12.2012 के अनुसार गैर खातेदार काश्तकार को सं[illegible]ण्ड अधिकार को खातेदारी हेतु आवेद करना होगा तथा आवेदन पत्र के साथ [illegible] तिथि वर्ष तक की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:49 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी एवं खसरा गिरदावरी की प्रमाण्ति प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। संबंधित उपखण्ड अधिकारी राजस्व रिकॉर्ड की भली–भांति जांच कर नवीनतम रिकॉर्ड एवं मौका स्थित की रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त कर प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 में विहित प्रक्रिया अनुसार खातेदारी देने की कार्यवाही करेंगे। बिन्दु संख्या 02 के अनुसार खातेदारी हेतु पात्र पाये जाने वाले गैर–खातेदार आवेदकों को समस्त देय राजकीय बकाया राशि मय ब्याज(यदि कोई हो) तथा 4000/– प्रति बीघा (सिंचित) एवं 2000/– प्रति बीधा (असिंचित) की दर से नियमितीकरण शुल्क जमा कराना होगा तथा 2000/– प्रति बीघा (सिंचित) एवं 1000/ प्रति बीघा (असिंचित) शास्ति के रूप में जमा कराने होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति/बीपीएल श्रेणी के गैर खातेदार आवेदकों से बिन्दु संख्या 03 में उल्लेखित नियमितीकरण शुल्क व शास्ति का प्रतिशत ही वसूलनीय होगा। ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने इस परिपत्र में उल्लेखित श्रेणी के गैर खातेदारों से बिना किसी बिना किसी विक्रय पत्र या इकरार नामा के भूमि क्रय कर ली हो तथा अन्य किसी पुख्ता साक्ष्य के आधार पर दावा रखते हों, उन्हें सक्षम न्यायालयसे स्वामित्व/कब्जे के बारे मे निर्णय करवाना होगा एवं निर्णय के पश्चात् बिन्दु संख्या–3 के अनुसार नियमितीकरण शुल्क व शास्ति जमा कराने पर खातेदारी अधिकर प्रदान किए जा सकेंगे। नगरपालिका क्षेत्र मे स्थित निष्क्रान्त कृषि भूमि के गैर खातेदारों को बिन्दु सं. 02 के अनुसार पात्र पाये जाने पर राजस्थान भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 के नियम 18 के उपनियम(4) में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.06.07 को जोड़े गये परन्तुतक में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। पत्रावली के अवलोकन से प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कुछ राशि तहसीलदार चूरू को वादी की ओर से जमा करवाई गई परन्तु न तो सम्वत् 2012 से प्रार्थना–पत्र दायर दिनांक तक की समस्त जमाबंदीयां व गिरदावरियां तथा ना ही ऐसा कोई सबूत पेश किया गया जिससे यह साबित होता हो को सम्वत् 2012 प्रार्थना–पत्र दायरी दिनांक तक कब्जा को लेकर कोई विवाद नहीं है इस प्रकार का कोई सबूत पेश किया है। वादी भूमि पर गैर–खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज हैं, जिसमें कोई विवाद नहीं है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि राष्ट्रपति संपत्ति है, अतः खातेदारी अधिकार सीधे न्यायालय द्वारा नहीं दिये जा सकते। वादी की ओर से केवल चालान प्रस्तुत किये गये हैं, किन्तु यह चालान आज लागू परिपत्र व नियमों में खातेदारी का आधार नहीं है। परिपत्र 2012 में यह स्पष्ट है कि नियमितीकरण शुल्क व शास्ति राजकीय बकाया की स्थिति में प्रकरण प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत नहीं होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

निर्णय

अतः समस्त परिस्थितियों, उपलब्ध रिकॉर्ड, तथ्यों, परिपत्र दिनांक 30.03.2012 एवं आवंटन नियम 1970 नियम 18 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के अधीन आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार्य पाया जाने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार–I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू